

16.3.2026


2026/66

निर्णय
16.3.2026

फर्द अहकाम
(नियम 15)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
बलवान बनाम अरुणकुमार आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 55 वर्ष 2026

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
02.02.2026	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 18.02.2026 को पेश हो।	
18/2/2026	वकुलार फरिडैन उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1, 4 ता 7, 9, 13, 14, 15 ने जजि वकील श्री हनुमान शर्मा उपस्थित काक (वकुलार दावा) पेश किया जिले का मिले फाइल किया गया। वकील वारी के निवेदन पर अध उपस्थित की तत्व के निवेदन का माया पत्र है कवाये जाने के काइय डिसेजारे हैं। पत्रावली का ता 16/3/2026 को पेश हो।	
16/3/2026	वकुलार फरिडैन उपस्थित। एदे अवाप जार कुधा वकील वारी ने एमाया पत्र की जिले पेश की। प्रतिवादी सं. 2, 3, 8, 10 ता 12, 16 अकजुद एमाया पत्र है तामिल के उपस्थित नहीं कसलिये इन्के खिलाफ कार्यवाही एकराफ अमल में ली जाली है। वारी उपस्थित का क्माय कवामा नहीं चाहते। वकुलार फरिडैन की कठ घुनी गई। पत्रावली का अकलोवन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिचारी का एक्माहि काइ के कावाय पर वाद वरीडिकी किया जाला है। एम निवेदन एरिल निर्णय अलग के लिखमा जवा आमिल कसलिय किया जावे। पत्रावली नकर है एम की जावा दापिल इकरा हो।	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर